

न्यायालय जिला कलक्टर, भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी शुचि त्यागी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 40/2018 निगरानी

श्री भैरूलाल पिता घीसू भील निवासी
सांगानेर तहसील भीलवाड़ा जिला
भीलवाड़ा (राज0)

उनवान

बनाम

1. श्री महेश पिता रामेश्वरलाल पाण्डिया
निवासी कीरखेड़ा मजरा आरजिया
तहसील एवं जिला भीलवाड़ा
2. ग्राम पंचायत आरजिया जरिये सरपंच
श्री बाबूलाल पिता बंशीलाल धोबी
निवासी आरजिया त0 भीलवाड़ा
3. सचिव, नगरविकास न्यास भीलवाड़ा
— गैर निगराकारगण

— निगराकार

**निगरानी अन्तर्गत धारा 97 रा0पं0रा0 अधिनियम 1994 विरुद्ध ग्राम
पंचायत आरजिया की पत्रावली संख्या 43 पट्टा सं0 49 आदेश दिनांक
06.07.2015 को निरस्ती बाबत।**

उपस्थित :- श्री बी0एल0बापना— वकील निगराकार
श्री प्रकाश सारस्वत —वकील गैर निगराकार सं0 1
श्री गणेशलाल जोशी—वकील गैर निगराकार सं0 3

निर्णय

दिनांक 30/07/2018

निगराकार की ओर से यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में गैर निगराकारान के विरुद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम पंचायत आरजिया का उक्त तथाकथित आदेश व पट्टा फर्जी व नियम विरुद्ध होने से निरस्तनीय है। पत्रावली संख्या 43 में संकल्प सं0 1 दिनांक 06.07.2015 के द्वारा जो पट्टा जारी किया है उस तरह का कोई संकल्प पंचायत ने पारित ही नहीं किया है और इस तथाकथित पट्टे पर सरपंच ग्राम पंचायत आरजिया के फर्जी हस्ताक्षर किये गये हैं। ग्राम पंचायत के सचिव ने गैर निगराकार सं0 1 से मिलाभगती करके उक्त पट्टे की रजिस्ट्री भी दिनांक 08.10.2015 को करवादी थी जबकि सचिव को इस प्रकार की रजिस्ट्री कराने का कोई अधिकार नहीं है। ग्राम पंचायत आरजिया द्वारा उक्त तथाकथित फर्जी पट्टा राजस्थान पंचायत राज नियम 1996 के नियम 157(1)के अधीन जारी करना बताया है जबकि नियम 157 में पुराने गृहों का विनियमितिकरण करने का ही प्रावधान है। किसी खाली भूखण्ड का पट्टा इस नियम के अन्तर्गत जारी नहीं किया जा सकता है। उक्त भूमि पर पिछले 50 वर्षों में गैर निगराकार सं0 1 का न तो कभी भवन बना हुआ था और न ही तथाकथित पट्टे की भूमि के एक इंच पर उसका कभी भी कब्जा रहा है फिर भी गैर निगराकार सं0 1 ने नियम 157(1)के तहत मिलाभगती करके जो पट्टा जारी करवाया है वह सरासर फर्जी होने से निरस्तनीय है। उक्त तथाकथित

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

भूखण्ड गांवसड़क के मध्य बिन्दु से 50 फीट के अन्दर है जबकि नियम 161 के अनुसार गांव की सड़क के मध्य बिन्दु से 50 फीट के अन्दर की भूमि का पट्टा जारी करने का ग्राम पंचायत को अधिकार ही नहीं है अपितु ऐसी भूमि को विक्रय करने का अपवर्जन किया गया है। गैर निगराकार सं० 1 को जो तथाकथित पट्टा जारी किया है उसमें 17 बाई 20 फीट की भूमि मुझ निगराकार की कृषि आ०नं० 641/1, 641/2 व 641/3 का हिस्सा है और 28 बाई 20 फीट की भूमि नगरविकास न्यास भीलवाड़ा के खातेदारी की भूमि है और केवल 15 बाई 20 फीट की भूमि ही ग्राम पंचायत की आबादी भूमि है जो भी सड़क से लगती हुई भूमि है जिसका भी पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया ही नहीं जा सकता है। मुझ निगराकार एवं नगरविकास न्यास भीलवाड़ा की भूमि का पट्टा ग्राम पंचायत आरजिया द्वारा गैर निगराकार सं० 1 को जारी करने का कोई अधिकार नहीं है। ग्राम पंचायत आरजिया के सचिव ने पंचायती राज नियम 1996 के नियम 141 से 161 तक की कोई भी पालना नहीं करते हुए तथाकथित पट्टा गैर निगराकार सं० 1 के नाम जारी किया है वह गैर कानूनी होने से निरस्तनीय है। अतः प्रार्थना है कि निगराकार की यह निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर गैर निगराकार सं० 1 को ग्राम पंचायत आरजिया द्वारा तथाकथित पत्रावली सं० 43 द्वारा जो पट्टा सं० 49 दिनांक 06.07.2015 को जारी किया जाना बताया है उसे निरस्त कराया जावे।

निगराकार के द्वारा दिनांक 23.04.2018 को निगरानी प्रस्तुत की जिसे दिनांक 27.04.2018 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर निगराकारगण को तारीख पेशी के सूचना पत्र जारी किए गए। गैर निगराकार सं० 2 बावजूद तामील के अनुपस्थित रहा। गैर निगराकार सं० 3 के द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया। गैर निगराकार सं० 1 के द्वारा दिनांक 17.07.2018 को जवाब में कथन किया कि निगरानी की कलम संख्या 2 से लगायत 9 गलत होकर अस्वीकार है। मजीद कथन में अंकित किया कि जिस जगह गैर निगराकार सं० 1 ने गैर निगराकार सं० 2 से विधिवत पट्टा प्राप्त किया है। यह जगह गैर निगराकार सं० 1 की पुश्तैनी जगह है और गैर निगराकार सं० 2 के आबादी हल्का में स्थित है। गैर निगराकार सं० 1 द्वारा अपनी भूमि का ही पट्टा प्राप्त किया है और निगराकार की आराजी में ना तो किसी प्रकार का निर्माण गैर निगराकार सं० 1 ने किया है ना ही निगराकार का कोई रास्ता अवरूद्ध किया है। न्यायालय श्रीमान द्वारा तहसीलदार भीलवाड़ा से जो मौका रिपोर्ट मंगवाई है उस मौका रिपोर्ट के अनुसार भी गैर निगराकार सं० 1 निगराकार की भूमि में कोई निर्माण कार्य नहीं कर रहे हैं। निगराकार अनुसूचित जन जाति का व्यक्ति है जिसने स्वर्ण जाति के भू माफिया व्यक्तियों को उसकी आराजी को विक्रय कर दी है और वह व्यक्ति वहां पर भूखण्ड काटकर कॉलोनियां बनाकर प्रतिफल प्राप्त करने पर आमादा है। गैर निगराकार सं० 1 के पट्टे में यदि नगरविकास न्यास भीलवाड़ा की आराजी व निगराकार की आराजी का कुछ भाग पट्टे में सम्मिलित होता है तो उस भूमि को गैर निगराकार सं० 1 माननीय न्यायालय श्रीमान के आदेशों की अनुपालना में छोड़ने हेतु तैयार है। गैर निगराकार सं० 1 की आवासीय भूमि से 100 फीट की दूरी पर निगराकार की आराजी है। अतः प्रार्थना है कि गैर निगराकार सं० 1 का जवाब स्वीकार फरमाया जाकर निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी सव्य खारिज फरमाया जावे।

निगरानी के साथ निगराकार के द्वारा गैर निगराकार सं० 1 के पक्ष में जारी पट्टे एवं रजिस्ट्री की प्रमाणित प्रति। निगराकार के खाते की आ०नं० 641/1, 641/2 व 641/3

जिला कलेक्टर
भीलवाड़ा

की जमाबन्दी, नगरविकास न्यास भीलवाड़ा की जमाबन्दी की फोटो प्रति, ग्राम पंचायत आरजिया की जमाबन्दी एवं नक्शा ट्रेस ग्राम आरजिया की फोटो प्रतियां प्रस्तुत की है। तहसीलदार भीलवाड़ा के पत्रांक 288 दिनांक 18.06.2018 की मौका रिपोर्ट की फोटो प्रति प्रस्तुत है। गैर निगराकार सं० 1 की ओर से अपने जवाब की ताईद में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है। गैर निगराकार ग्राम पंचायत आरजिया सचिव ने अपने पत्रांक/ग्रापंआ/2018/79 दिनांक 13.07.2018 से पट्टे से सम्बन्धित पत्रावली ग्राम पंचायत आरजिया में उपलब्ध नहीं होने की रिपोर्ट प्रस्तुत की है। तत्पश्चात दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

बहस में वकील निगराकार के द्वारा निवेदन किया कि गैर निगराकार सं० 2 ग्राम पंचायत आरजिया के द्वारा गैर निगराकार सं० 1 को पट्टा जिस भूमि का जारी किया उस पर कभी भी गैर निगराकार का पिछले 50 वर्ष से कभी कब्जा नहीं था न इस पर किसी प्रकार का निर्माण था इसके बावजूद राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157(1) के तहत विधि विरुद्ध जाकर पट्टा जारी किया है। इसके अलावा पट्टे में जिस भूमि को सम्मिलित करते हुए पट्टा जारी किया है उसमें मुझ निगराकार की खातेदारी की आ०नं० 641/1, 641/2 व 641/3 एवं नगरविकास न्यास भीलवाड़ा के रास्ते की आ०नं० 646 को सम्मिलित करते हुए विधि विरुद्ध पट्टा जारी किया है जो निरस्त योग्य है। यहां तक की ग्राम आरजिया की सड़क के मध्य से 50 फीट के भीतर स्थित आबादी भूमि को भी सम्बन्धित पंचायत को विक्रय करने का या पट्टा जारी करने का कोई अधिकार नहीं है। जैसाकि इस सम्बन्ध में तहसीलदार भीलवाड़ा से मौके की रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसमें स्पष्ट अंकित है कि ग्राम पंचायत आरजिया द्वारा जारी पट्टे की भूमि में आ०नं० 641 में से ढाई गट्टा एवं आ०नं० 646 में 3 गट्टा भूमि लम्बाई में सम्मिलित है। इस प्रकार सम्पूर्ण तथ्यों के अनुसार ग्राम पंचायत आरजिया के द्वारा जारी किया गया पट्टा सं० 49 निर्णय दिनांक 06.07.2015 को अपास्त फरमाया जावे।

बहस में वकील गैर निगराकार सं० 1 के द्वारा बताया कि ग्राम पंचायत आरजिया के द्वारा गैर निगराकार सं० 1 को जिस भूमि का पट्टा जारी किया वह पुश्तैनी होने से विधिवत पट्टा जारी किया है। मौके पर निगराकार की भूमि पर कोई कब्जा नहीं होकर किसी प्रकार का निर्माण नहीं है। निगराकार के द्वारा यह निगरानी मात्र गैर निगराकार को परेशान करने के लिए प्रस्तुत की है। निगराकार अनुसूचित जन जाति का सदस्य है जिसके द्वारा अपनी खातेदारी की भूमि को भूमाफियाओं को विक्रय कर दी है जिस पर आवासीय कॉलोनी काटना चाहते हैं और इस निगरानी की आड में यह कार्य करना चाहते हैं। मेरे द्वारा कोई रास्ता नहीं रोका गया है। बहस में जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि निगराकार की निगरानी खारिज फरमाई जावे।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। निगराकार के द्वारा अपनी निगरानी के साथ ग्राम पंचायत आरजिया की पत्रावली संख्या 43 से जारी पट्टा सं० 49 निर्णय दिनांक 06.07.2015 की उप पंजीयक से प्रमाणित फोटो प्रति मय रजिस्ट्री की प्रमाणित फोटो प्रति प्रस्तुत की। पट्टा सं० 49 दिनांक 06.07.2015 को जारी किया जो श्री महेश पिता रामेश्वरलाल पाण्डिया निवासी कीरखेड़ा मजरा आरजिया के नाम पर राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157(1) के तहत 20 गुणा 60 फीट अर्थात कुल 1200 वर्गफीट का जारी किया गया है। उक्त पट्टे के रिकॉर्ड के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत आरजिया के सचिव ने अपने पत्रांक 79 दिनांक 13.07.2018 में लिखा कि ग्राम पंचायत आरजिया के द्वारा श्री महेश पिता

जिला कलेक्टर
भीलवाड़ा

रामेश्वरलाल पाण्डिया निवासी कीरखेड़ा मजरा सांगानेर के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 47 दिनांक 06.07.2015 से सम्बन्धित पत्रावली ग्राम पंचायत कार्यालय में उपलब्ध नहीं होने से भिजवाया जाना संभव नहीं है। यह भी लिखा कि पूर्व सचिव द्वारा उसे चार्ज में भी नहीं दी है। पट्टे से सम्बन्धित पत्रावली की नकल ग्राम पंचायत आरजिया के द्वारा जारी नहीं की गई क्योंकि पत्रावली उपलब्ध नहीं है तो निगराकार के द्वारा उक्त पट्टे का पंजीयन उप पंजीयक कार्यालय भीलवाड़ा में दिनांक 08.10.2015 को हुआ जहां से प्रमाणित नकलें प्राप्त कर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। गैर निगराकार संख्या 01 के द्वारा अपने जवाब में बताया कि आरजिया ग्राम में जिस भूमि का पट्टा जारी किया है वह हमारी पुश्तैनी है परन्तु पुश्तैनी होने के सम्बन्ध में एवं कब्जेशुदा भूखण्ड पर निर्माण सम्बन्धी मौके की रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की, न किसी गवाह के शपथ-पत्र एवं फोटो ग्राफ्स आदि प्रस्तुत किए हैं मात्र मौखिक कथन किसी प्रकार से आधार नहीं माना जा सकता है। पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157(1)के तहत पट्टा प्रपत्र-23-क में जारी किया गया। नियम 157 इस प्रकार है-

नियम 157 -पुराने गृहों का विनियमितकरण-(1) जहां व्यक्तियों के कब्जे में आबादी भूमि में पुराने गृह हो और वे पंचायत से कोई पट्टा जारी करवाना चाहते हों वहां निम्नानुसार राशि जमा कराये जाने के पश्चात पंचायत द्वारा पट्टा (प्रारूप-23 क) जारी किया जा सकेगा-

(1)300 वर्गगज तक के क्षेत्रफल के लिए 300 वर्गगज अधिकतम क्षेत्रफल के अध्यक्षीन रहते हुए 25 प्रतिशत संनिर्मित क्षेत्रफल को सम्मिलित करते हुए संनिर्मित क्षेत्रफल-

(क) इन नियमों के लागू होने की तिथि से पूर्व 50 वर्ष से अधिक पूर्व से संनिर्मित पुराने गृहों के लिए-

100/-रु०

(ख)इन नियमों के लागू होने की तिथि को 50 वर्षों के दौरान बने पुराने मकानों हेतु

200/-रु०

जैसाकि पंचायत द्वारा जारी पट्ट में भी स्पष्ट अंकित है कि पच्चास वर्ष से अधिक पुराने घर पर कब्जा है/पंचायत आबादी भूमि पर राजस्थान पंचायती राज विभाग 1996 के प्रारम्भ होने की तारीख से पिछले पच्चास वर्षों के दौरान सनिर्मित किया गया है। आवंटिती ने एक सौ/दो सौ रुपये फीस निक्षिप्त कर दी है। पत्रावली संख्या 43 रसीद संख्या 58/2015-16 दिनांक 06.07.2015 को जमा। परन्तु इस पट्टे में यह अंकित नहीं है कि रसीद संख्या 58 से कितनी राशि अर्थात 100 या 200 रु० जमा किये हैं कोई उल्लेख नहीं है। चूंकि ग्राम पंचायत की पत्रावली संख्या 43 से जारी पट्टा संख्या 49 आदेश दिनांक 06.07.2015 पंचायत के कार्यालय में उपलब्ध ही नहीं है तो फिर गैर निगराकार संख्या 01 के पक्ष में जारी पट्टा वैध नहीं कहा जा सकता है।

वैसे भी वादग्रस्त भूखण्ड के सम्बन्ध में तहसीलदार भीलवाड़ा से मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार के पत्रांक /रीडर/2018/288 दिनांक 18.06.2018 के साथ मौके का नजरी नक्शा एवं पटवारी हल्का आरजिया की रिपोर्ट के साथ प्राप्त हुई है। रिपोर्ट के साथ संलग्न रिपोर्ट पटवारी दिनांक 15.06.2018 के अनुसार ग्राम भदालीखेड़ा की आ०नं० 641, 642, 646 का मौका देखा गया। आ०नं० 641/1, 641/2, 641/3 श्री भैरूलाल भील के नाम पर खातेदारी से दर्ज है। आ०नं० 646 रकबा 0.19 किस्म गेमु० रास्ता है जो नगरविकास न्यास भीलवाड़ा के नाम दर्ज है। नाम अनुसार उक्त पट्टों में लम्बाई का ढाई गट्ठा भू-भाग आ०नं० 641 में तथा


जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

3 गट्टा भू भाग आ0नं0 646 में आ रहा है। आ0नं0 646 रकबा 0.19 बिस्वा में से 4 बिस्वा 10 बिस्वांसी भू-भाग पर कब्जा करने का प्रयास किया जाकर रास्ता बन्द कर दिया गया है। जैसाकि नकल जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 73 में 641/1 रकबा 0.08 बिस्वा, आ0नं0 641/2 रकबा 0.06 बिस्वा व आ0नं0 641/3 रकबा 0.04 बिस्वा श्री भैरूलाल पिता घीसू भील सा0 सांगानेर के नाम खातेदारी से दर्ज होना सिद्ध होता है ऐसी स्थिति में तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार ग्राम पंचायत आरजिया के द्वारा खातेदार / निगराकार श्री भैरूलाल भील की कृषि भूमि का पट्टा जारी किया जाना सिद्ध होता है। इसी प्रकार आ0नं0 646 गेमु0 रास्ता रकबा 0.19 बिस्वा नगरविकास न्यास भीलवाड़ा के नाम अन्य आराजीयात के साथ दर्ज रिकॉर्ड है। स्वयं गैर निगराकार ने अपने जवाब में यह स्वीकार किया है कि गैर निगराकार का भूखण्ड आ0नं0 646 में स्थित है जो कि रास्ते की भूमि है। यह भूमि सार्वजनिक उपयोग की भूमि होकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 की प्रतिबन्धित श्रेणी में आती है जिसका ग्राम पंचायत के द्वारा गैर निगराकार के पक्ष में पट्टा जारी किया है जो अवैध है। ग्राम पंचायत के द्वारा भी निगरानी के खण्डन में न तो कोई जवाब प्रस्तुत किया न ही वादग्रस्त पट्टे से सम्बन्धित रिकॉर्ड प्रस्तुत किया है। इस प्रकार ग्राम पंचायत आरजिया के द्वारा पत्रावली संख्या 43 संकल्प संख्या 01 दिनांक 06.07.2015 से गैर निगराकार श्री महेश पिता रामेश्वरलाल पाण्डिया निवासी कीरखेड़ा मजरा आरजिया के नाम पर जारी पट्टा संख्या 49 अवैध जारी किया जाना प्रतीत होता है। अतएव-

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगराकार की निगरानी स्वीकार करते हुए ग्राम पंचायत आरजिया के द्वारा अपनी पत्रावली संख्या संख्या 43 संकल्प संख्या 01 दिनांक 06.07.2015 से गैर निगराकार श्री महेश पिता रामेश्वरलाल पाण्डिया निवासी कीरखेड़ा मजरा आरजिया के नाम पर जारी पट्टा संख्या 49 को निरस्त किया जाता है। पट्टा दिनांक 06.07.2015 को कार्यरत सरपंच व ग्राम सचिव आरजिया ने रास्ता एवं निजी भूमि पर पट्टे जारी करके विधि विरुद्ध कार्य किया है जो लोक सेवक के कर्तव्यों के विपरीत है। इस सम्बन्ध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद भीलवाड़ा को लिखा जावे कि वे दिनांक 06.07.2015 को ग्राम पंचायत आरजिया के द्वारा जारी किए गए पट्टों की जांच करें एवं जांच में सरपंच एवं सचिव अवैध पट्टा जारी करने में संलिप्त पाए जावें तो उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही कर पालना से 2 माह में अवगत करावें। निर्णय की प्रति मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद भीलवाड़ा को प्रेषित की जावे। आदेश की प्रति ग्राम पंचायत आरजिया को पालनार्थ भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 30/07/2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


जिला कलक्टर
भीलवाड़ा